

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

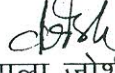
क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III / 5107-5115

दिनांक :- 11/8/2014

कार्यालय आदेश

श्रीमती ममता टंडन, लेखाकार, कार्यालय श्रम न्यायालय, अजमेर अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-2 कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, अजमेर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में दो दिवस (सोमवार एवं मंगलवार) अग्रिम आदेश/ पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगी। इन्हे अतिरिक्त कार्य के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(ई) (1)(6) / अति.कार्य / अलेसे-III / 12446- 450 / दिनांक 06.02.2012 द्वारा श्री कैलाश सिंह चौहान, क.लेखाकार को पारिवारिक न्यायालय, अजमेर का दिया गया अतिरिक्त कार्यभार आदेश निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)

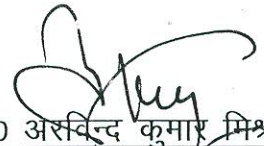
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III / 5107-5115

दिनांक :- 11/8/2014

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अजमेर।
2. माननीय न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, अजमेर।
3. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I), कार्यालय हाजा।
4. सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, अजमेर।
5. श्रीमती ममता टंडन, लेखाकार, कार्यालय न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, अजमेर।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. उपनिदेशक(एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/ रक्षित पत्रावली।


(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)